FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

घीसा बनाम अमरचन्द वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 402 सन् 2023 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री सुरजभान गुनिया** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्‌देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5198/1500 रकबा 25.530 हैक्ट. अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना में प्रार्थी के हिस्से का रहन, बेचान न करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:44:50 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/3 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 4/4/24 को पेश हो।	
4/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हो।	
17.05.2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों के बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। विभाजन प्रस्ताव अभी प्राप्त नही हुआ है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
उपखण्ड अधिकारी जिला नीमकाथाना (राज.)	
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाब[illegible] जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3198[illegible] रकबा 25.530 हैक्ट. अवस्थित [illegible] हल्का पीथनपुरी तहसील नीमकाथाना के मौके की [illegible]स्थिति बनाये रखें। तथा पूर्व में दिनांक 28.06.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलंग्न हो।	
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:44:50 IST
Reason: SelfAttested